




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK77861305796180S
Certificate Issued Date	: 24-Jul-2020 03:33 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1206004/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120600458659562358248S
Purchased by	: MAMTA DEVI
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: MAMTA DEVI
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: MAMTA DEVI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



ATUL GAUR
NOTARY PUBLIC
DEHRADUN

Please write or type below this line.....



ममता देवी

24-7-2020

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at: www.shoalestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as shown on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

परिशिष्ट-3

शपथ पत्र

समक्ष:- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद देहरादून।

शपथ पत्र द्वारा श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री नीरज कुमार निवासी-14 बीगा, चुंगी, लक्ष्मणझूला रोड ऋषिकेश, जनपद-देहरादून घोषणा करती हूँ कि:-

- 1- यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।
- 2- यह कि मैं अपने आवासीय भवन स्थित (पता) 14 बीगा, चुंगी, लक्ष्मणझूला रोड ऋषिकेश, जनपद-देहरादून में स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अवस्थित अतिरिक्त कक्षों 05 (कक्षों की संख्या: पांच) को अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण करने का इच्छुक हूँ।
- 3- यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा स्वयं का है, जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगडा विवाद नहीं है।
- 4- यह कि मेरे भवन का मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नहीं है, अथवा भवन प्राधिकरण/स्थानीय निकायों के गठन से पूर्व का निर्मित है, जिस कारण मानचित्र नहीं है/स्वीकृत नहीं है। भवन हैरिटेज दृष्टि से पर्यटको हेतु उपयोगी है।
उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। ऐसी स्थिति में मेरा इस योजनान्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।
- 5- यह कि मेरे द्वारा अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली-2015 (प्रथम संशोधन नियमावली-2016) तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में किये गये प्राविधानों/नियमों/उप नियमों/शर्तों को भली भांति पढ लिया गया है, जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से बाध्य होंऊगी।

-घोषणा-



उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, यदि इसमें कोई तथ्य झूठा पाया जाय तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसी स्थिति में मेरी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।
दिनांक 24 जुलाई 2020 को मैं शपथकर्ती उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र की सभी शर्तों सही व सत्य होना कबूल करती हूँ।

शपथकर्ती

ममता देवी

ममता देवी
पत्नी श्री नीरज कुमार
निवासी-14 बीगा, चुंगी,
लक्ष्मणझूला रोड ऋषिकेश,
जनपद-देहरादून

ATTESTED

(PADAM SINGH)
Advocate & NOTARY
Dehradun.

24-7-2020

'परिशिष्ट-3'

विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त अनापत्ति
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री प्रमता देवी
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री. राजकुमार निवासी दशपुर रोड 14 बिल्डा पता शुभिवर
जिसके द्वारा अतिथि-उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली-2016 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है, के पंजीकरण में इस विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 13/11/2020

स्थान शुभिवर

श्रीमति शकुन्ता शर्मा
पापद

नाम व हस्ताक्षर मैरव कालोनी, ऋषिकेश
सचिव/अधिकासी अधिकारी/ग्राम प्रधान
विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत
(सील)

नोट-प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो कि विकास प्राधिकरण व स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत दोनों के ही अन्तर्गत आते हों, की दशा में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।